

परिशिष्ट - दो
प्रपत्र - 2

निःशुल्क एवं अनिवार्य बाल शिक्षा का अधिकार अधिनियम नियमावली, 2011 के नियम-17 को देखें

दूरभाष
फैक्स

ई-मेल

कार्यालय मुख्य शिक्षा नैनीताल, उत्तराखण्ड

दिनांक 30-03-2013

पत्रांक :- 12984

सेवा में,

अध्यक्ष/सुवस्थापक/प्रबन्धक
सेन्ट जोसेफ कॉन्वेंट स्कूल
पीरुमादारा, रामनगर


विषय :- निःशुल्क एवं अनिवार्य बाल शिक्षा का अधिकार अधिनियम, 2009 की धारा 19(2) के प्रयोजनार्थ निःशुल्क एवं अनिवार्य बाल शिक्षा का अधिकार नियमवली, 2011 के नियम 17 के अन्तर्गत अधिनियम की अनुसूची में निर्धारित मानक एवं मानदण्डों को पूर्ण करने का प्रमाण-पत्र निर्गत करने विषयक।

महोदय/महोदया,

उपरोक्त विषयक आपके द्वारा उपलब्ध स्वघोषणा पत्र दिनांक 12-3-13 के क्रम में आपके विद्यालय सेन्ट जोसेफ कॉन्वेंट स्कूल, पीरुमादारा, रामनगर (विद्यालय का नाम एवं पूरा पता) को अधिनियम की धारा-19(2) के अन्तर्गत अधिनियम की अनुसूची में निर्धारित मानक एवं मानदण्डों को पूर्ण करने का प्रमाण पत्र निर्गत किया जाता है। जनपद नैनीताल में आपके विद्यालय के पंजीकरण की संख्या 321 है। भविष्य में यदि अधिनियम की अनुसूची में निर्धारित मानक एवं मानदण्डों का उल्लंघन दृष्टिगोचर होता है तो उत्तराखण्ड शिक्षा का अधिकार नियमावली के नियम-18 के अनुसार कार्यवाही की जायेगी।

भवदीय,

मुख्य शिक्षा अधिकारी,
जनपद - नैनीताल
उत्तराखण्ड


Principal
St. Joseph's Convent School
Peerumadara, Ramnagar
Nainital, U.K.-244715





सत्यमेव जयते

भारत सरकार

राष्ट्रीय अल्पसंख्यक शैक्षणिक संस्था आयोग

GOVERNMENT OF INDIA

NATIONAL COMMISSION FOR MINORITY EDUCATIONAL INSTITUTIONS

गेट नं० ४, प्रथम तल, जीवन तारा भवन, ५, संसद मार्ग
पटेल चौक, नई दिल्ली - ११० ००१
Gate No. 4, 1st Floor, Jeevan Tara Building, 5, Sansad Marg
Patel Chowk, New Delhi - 110 001

C E R T I F I C A T E

Dated.....

THIS IS TO CERTIFY THAT BY THE ORDER DATED 4TH DAY OF SEPTEMBER 2014 PASSED BY THE NATIONAL COMMISSION FOR MINORITY EDUCATIONAL INSTITUTIONS, NEW DELHI IN CASE NO. 933 OF 2014 (ST. JOSEPH'S CONVENT SCHOOL, SHANTI KUNJ-II, P.O. PEERUMADARA, TEHSIL RAMNAGAR, DIST. NAINITAL, UTTARAKHAND, VS. SECRETARY, SCHOOL EDUCATION DEPARTMENT, GOVERNMENT OF UTTARAKHAND), ST. JOSEPH'S CONVENT SCHOOL RUN BY THE SISTERS OF OUR LADY OF PROVIDENCE EDUCATION SOCIETY HAS BEEN DECLARED AS A MINORITY EDUCATIONAL INSTITUTION COVERED UNDER SECTION 2(g) OF THE NATIONAL COMMISSION FOR MINORITY EDUCATIONAL INSTITUTIONS ACT, 2004.

GIVEN UNDER MY HAND AND THE SEAL OF THE COMMISSION ON THIS 4TH DAY OF SEPTEMBER, 2014.



[Signature]
Principal

St. Joseph's Convent School
Peerumadara, Ramnagar
Nainital, U.K.-244715

[Signature]
(RITA CHATTERJEE)
SECRETARY

